रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 1988/चैत्र 2, 1910
No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 1988/CHAITRA 2, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1988

सा. का. नि० 363 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205 क की उपधारा (6) के साथ पठित, धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनियों के असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखे में अन्तरण) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनियों के असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखे में अन्तरण) संशोधन नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनियों के असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखे में अन्तरण) नियम, 1978 में —

(i) नियम 4 के उपनियम (1) में

"दो प्रतियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा "प्ररूप 1 में" शब्दों और अंक के पश्चात "भारत में व्यवसाय करने वाले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कंपनी सचिव या किसी लागत लेखापाल द्वारा या कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित" शब्द जोड़े जाएंगे।

(ii) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"4क. प्रत्येक कंपनी, अगली वार्षिक साधारण बैठक की सूचना के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखा में अन्तरित लाभांश की विशिष्टियों के बारे में संबंधित शेयर-धारकों को सूचित करेगी।"

(iii) नियम 6 में.—

(क) उपनियम (1) में, "दो प्रतियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (5) में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'दावेदार प्ररूप 2 में अपने आवेदन के साथ एक स्टाम्पित पूर्व रसीद, जिस पर उसके हस्ताक्षर और दो साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे, कंपनियों के रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा।"

(iv) प्ररूप 2 में, भाग "क" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनियों के रजिस्ट्रार से ————————रु. ————————रुपए शब्दों में) प्राप्त किए, जो मैसर्स ————————से मूल रूप में शोध्य थे अदावाकृत या असंदत्त लाभांश के रूप में केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखा से मुझे/हमें संदेय रकम है।

————————————————

| | |
|---|---|
| 1 नाम तारीख पते और आजीविका सहित साक्षी के हस्ताक्षर | नाम, तारीख पते और आजीविका सहित दावेदार के हस्ताक्षर (20 पैसे की राजस्व स्टाम्प पर यदि दावा 20 रुपए या उससे अधिक का है)। |
| (2) नाम, तारीख पते और आजीविका सहित साक्षी के हस्ताक्षर | |

टिप्पण

1. 1,000 रुपए से अधिक दावे की दशा में, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र अपेक्षित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2 मृत शेयरधारक की दशा में, मृत शेयरधारक के विधिक प्रतिनिधि (यों) से, जो दावा कर रहा है/रहे हैं, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/प्रोबेट/प्रशासन पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यदि शेयर, दावेदार के नाम में पारेषित किए जा चुके हैं, तो कंपनी से इस निमित्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3 लाभांश वारंट या शेयर प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4 प्रत्येक कंपनी के संबंध में दावों के लिए पृथक आवेदन करने चाहिए।'

[फाईल सं. 1/4/87-सी. एल.—V]

वी. के. सजीना, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1988.

G.S.R. 363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with sub-section (6) of section 205A of the Companies Act, 1956 (1 f 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies Unpaid Dividend (Transfer to General Revenue Account of the Central Government) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies Unpaid Dividend (Transfer to General Revenue Account of the Central Government) (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies Unpaid Dividend (Transfer to General Revenue Account of the Central Government) Rules, 1978,

(i) in rule 4, in sub-rule (1),—

for the words "in duplicate" shall be omitted;

after the word and figure "Form 1", the words "duly certified by a chartered accountant or a company secretary or a cost accountant practising in India or by the auditors of the company" shall be added ;

(ii) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely,

"4A. Every company shall inform the shareholders concerned about the particulars of the dividend transferred to the General Revenue Account of the Central Government along with the Notice of the next Annual General Meeting."

(iii) in rule 6,

(a) in sub-rule (1), the words "in duplicate" shall be omitted ;

(b) in sub-rule (5), for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted ;

(c) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) The claimant shall deliver to the Registrar of Companies a stamped pre-receipt bearing his signature and the signatures of two witnesses along with his application in Form II.";

(iv) In Form II, after Part 'A', the following shall be inserted, namely :—

"Received from the Registrar of Companies ..............the sum of Rs. ........... [Rupees...........(in words)] being the amount payable to me|us from the General Revenue Account of the Central Government as unclaimed or unpaid dividend, (which was originally) due from M|s........................

(1) Signature of witness.

With name, date, address and occupation.

(2) Signature of witness.

With name, date, address and occupation.

Signature of the claimant.

With name, date, address and occupation.

(on revenue stamp of 20 paise, if the claim is for Rs. 20 or more).

Notes :

1. Indemnity bond should be furnished on a non-judicial stamp paper of the requisite value, in case the claim exceeds Rs. 1,000.
2. In the case of deceased shareholder, the legal representative(s) of the deceased shareholder, who is (are) preferring the claim, is (are) required to furnish succession certificate|probate|letters of administration. In case the shares have been transmitted in the name of the claimant, a certificate in this behalf from the company be furnished.
3. Dividend warrant or a photo-copy of the share certificate should be furnished.
4. Seperate applications should be made for claims in respect of each company."

[File No. 1|4|87-CL.V]

V. K. MAJOTRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988